A 49

जन कल्याण

आवासिय जनकल्याण समिति (रजि)

म.न. 3, गली न, 2, लखपत कालोनी पार्ट 2, बदरपुर, नई दिल्ली 110044
9717819860 / 9711188159

दिनॉक. 8/11/2011

OFFICE OF UDM
Dy. No. 4010
Date 18/11/11

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषय: मास्टर प्लान 2011 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लखपत कालोनी पार्ट 2 को ओ जोन (Zone O) से हटा कर एफ जोन (Zone F) में डाले जाने हेतु निवेदन।

महोदय,

आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी कालोनी लखपत कालोनी पार्ट 2, मीठापुर विस्तार, विधान सभा क्षेत्र बदरपुर, दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में क्रमांक सख्या 226 तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर 240 पर सूचीवद्ध है। तथा दिल्ली सरकार के अनाधिकृत कालोनी सेल के डिप्टी सेक्रेट्री द्वारा दिनांक 7/2/2011 को विकास कार्य के लिए जारी 733 कालोनियों की सूची में हमारी कालोनी का क्रमांक संख्या 128 तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर 240 पर अंकित है। दिल्ली विकास प्रधिकरण के द्वारा तैयार व लागू किया गया मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को जोन ओ (Zone O) में रखा गया है, जो कि सरासर गलत है। जोन ओ (Zone O) यमुना नदी का अग्रभाग/यमुना बैंड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मीटर के क्षेत्र मे आ रहे इलाके को ही माना गया है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर पारित आदेशो के अनुरूप है।

हमारी कालोनी लखपत कालोनी पार्ट 2, 1639 की सूची में क्रमांक संख्या 226 रजिस्ट्रेशन नम्बर 240 यमुना नदी से 8 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर है, हम लोग यमुना नदी के किनारे या अग्रभाग पर नही बैठे है। हमारी कालोनी के बाद साईं नगर, हरिजन बस्ती, गगन विहार, मोलडबन्द सीनियर सेकेण्डरी (सरकारी स्कूल) है तथा उसके बाद हरियणा के गॉव बसन्तपुर, इस्मायलपुर, अगवानपुर, सेतपुर व हरियाणा की कुछ कालोनियॉ भी आती है और उससे भी आगे यमुना नदी बहती है।

PS to UDM
Secy(UD)

Secretary UD

जन

कल्याण

आवासिय जनकल्याण समिति (रजि)

म.न. 3, गली न, 2, लखपत कालोनी पार्ट 2, बदरपुर, नई दिल्ली 110044
9717819860 / 9711188159

दि. 11/11/11

महोदय, जब कि गीता कालोनी, लक्ष्मी नगर, शकरपुर, जैसी यमुना नदी के किनारे की कालोनियों को ओ जोन में नही रखा गया, जो यमुना नदी से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर बसी हुई है, तो फिर हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है ?

महोदय, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने क्षेत्र के बराबर में एफ जोन लागू किया है। अतः आप से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारी कालोनी को भी एफ जोन की श्रेणी में ही रखा जाय। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे।

धन्यवाद।

कृते आवासिय जनकल्याण समिति

RamPal

राम लाल गोस्वामी
अध्यक्ष

प्रतिलिपि:

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
2 माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
3 माननीय निदेशक (योजना) एम पी आर दिल्ली विकास प्राधिकरण
4 माननीय आयुक्त दिल्ली नगर निगम
5 माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार
6 श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली
7 श्री राम सिंह नेता जी माननीय विधायक, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र
8 माननीय एस डी एम कालका जी